

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 — आषाढ़ 25, शक 1941

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 25, 1941)

क्रमांक-8011/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) जो मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 12 सन् 2019)

**छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन)
विधेयक, 2019**

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004
(क्र. 24 सन् 2004) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | | |
|-------------------------------------|----|-----|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा. |
| | | (2) | इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा. |
| | | (3) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| धारा 11 का संशोधन. | 2. | | छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) में, धारा 11 के उप-धारा (8) में, शब्द "एक पत्रकारिता के क्षेत्र के विद्वान" के स्थान पर, चिन्ह एवं शब्द "एक व्यवसायिक व्यक्ति, जो या तो पत्रकारिता अथवा संचार मिडिया क्षेत्र की शाखा से हो, जिसके पास सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर में 20 वर्ष का अनुभव हो," प्रतिस्थापित किया जाये. |
| धारा 12 का संशोधन. | 3. | | मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(6) कुलपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश, रूग्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य शासन की अनुशंसा पर, कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य या राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का कोई अधिकारी कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिस पर कोई कुलपति, जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 11 की उप-धारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, यथास्थिति, अपना पद ग्रहण या पुनः पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परन्तु इस उप-धारा में अनुध्यात व्यवस्था छः मास से अधिक की कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी.” |

उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः, किसी भी कारण से कुलपति का पद रिक्त हो जाने से उद्भूत तत्कालिक व्यवस्था को बनाये रखने तथा कुलपति की नियुक्ति के सीमा विस्तार हेतु, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) की धारा 11 एवं 12 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

और यतः, राज्य शासन द्वारा विनिश्चय किया गया है कि विश्वविद्यालयों के कार्यों को सुगम बनाने को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) में संशोधन किया जाये.

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुये, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) को संशोधित करना आवश्यक है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 6 जुलाई, 2019

उमेश पटेल
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबन्ध

- (1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) की धारा 11 के उप-धारा (8) का सुसंगत उद्धरण :-

राज्य शासन एक पत्रकारिता के क्षेत्र के विद्वान की नियुक्ति नवगठित विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर करेगा जो दो वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी तथा ऐसा नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख के छः माह के भीतर, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करें और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा.

- (2) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) की धारा 12 के उप-धारा (6) का सुसंगत उद्धरण :-

कुलपति की मृत्यु के कारण, उसके पद त्याग के कारण, छुट्टी, रूग्णता या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का वरिष्ठतम आचार्य कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि कोई कुलपति जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 11 की उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया हो, यथास्थिति अपना पदग्रहण या पुनः ग्रहण नहीं कर लेता है :

परंतु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छः माह से अधिक कालावधि के लिये चालू नहीं रहेगा.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.